

**जनजाति कार्य मंत्रालय**

**मांग संख्या 95**

**जनजाति कार्य मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1996.75	16.13	2012.88	3136.50	13.87	3150.37	3135.70	15.71	3151.41	3653.01	17.00	3670.01	
पूँजी	...	...	...	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	
जोड़	<b>1996.75</b>	<b>16.13</b>	<b>2012.88</b>	<b>3206.50</b>	<b>13.87</b>	<b>3220.37</b>	<b>3205.70</b>	<b>15.71</b>	<b>3221.41</b>	<b>3723.01</b>	<b>17.00</b>	<b>3740.01</b>	
1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं मंत्रिपरिषद	2251	0.38	10.77	11.15	1.50	9.19	10.69	0.49	10.64	11.13	1.40	10.85	12.25
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
3. जनजातीय उपयोगना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	3601	41.00	...	41.00	75.00	...	75.00	65.00	...	65.00	75.00	...	75.00
4. पीएमएस, पुस्तक बैंक और अ.ज.जा. के छात्रों की योग्यता उन्नयन की स्कीम	2225	0.02	...	0.02	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3601	271.35	...	271.35	469.93	...	469.93	469.43	...	469.43	572.90	...	572.90
जोड़		271.37	...	271.37	470.03	...	470.03	469.53	...	469.53	573.00	...	573.00
5. अ.ज.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.00	...	44.00
जोड़		...	...	...	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00
6. अनु.जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीम	2225	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	3601	59.00	...	59.00	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00
जोड़		64.00	...	64.00	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00
7. उत्कृष्टता / उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान योजना	2225	1.75	...	1.75	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
8. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	2225	0.31	...	0.31	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
9. अनुसूचित जातियों के कल्याण के अन्य कार्यक्रम	2225	141.91	5.22	147.13	184.47	4.52	188.99	175.82	4.91	180.73	185.40	5.99	191.39
	3601	95.69	0.14	95.83	207.50	0.14	207.64	259.40	0.14	259.54	263.20	0.14	263.34
जोड़		237.60	5.36	242.96	391.97	4.66	396.63	435.22	5.05	440.27	448.60	6.13	454.73
<b>जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण</b>		<b>616.03</b>	<b>5.36</b>	<b>621.39</b>	<b>1008.50</b>	<b>4.66</b>	<b>1013.16</b>	<b>1043.25</b>	<b>5.05</b>	<b>1048.30</b>	<b>1215.60</b>	<b>6.13</b>	<b>1221.73</b>

<http://indiabudget.nic.in>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता</b>													
10. जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3601	481.24	...	481.24	960.50	...	960.50	941.96	...	941.96	1096.01	...	1096.01
11. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (i) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता	3601	399.10	...	399.10	1046.00	...	1046.00	1030.00	...	1030.00	1197.00	...	1197.00
12. अनुसूची - 5 क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता</b>		<b>1380.34</b>	<b>...</b>	<b>1380.34</b>	<b>2006.50</b>	<b>...</b>	<b>2006.50</b>	<b>1971.96</b>	<b>...</b>	<b>1971.96</b>	<b>2293.01</b>	<b>...</b>	<b>2293.01</b>
<b>जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>		<b>1996.37</b>	<b>5.36</b>	<b>2001.73</b>	<b>3015.00</b>	<b>4.66</b>	<b>3019.66</b>	<b>3015.21</b>	<b>5.05</b>	<b>3020.26</b>	<b>3508.61</b>	<b>6.13</b>	<b>3514.74</b>
<b>सरकारी उद्यमों में निवेश</b>													
13. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	4225	...	...	...	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ - परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	143.00	...	143.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>1996.75</b>	<b>16.13</b>	<b>2012.88</b>	<b>3206.50</b>	<b>13.87</b>	<b>3220.37</b>	<b>3205.70</b>	<b>15.71</b>	<b>3221.41</b>	<b>3723.01</b>	<b>17.00</b>	<b>3740.01</b>
	<b>विकास शीर्ष</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
13. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	22225	...	...	...	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
<b>केन्द्रीय योजना:</b>													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.38	...	0.38	1.50	...	1.50	0.49	...	0.49	1.40	...	1.40
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	616.03	...	616.03	1078.50	...	1078.50	1113.25	...	1113.25	1285.60	...	1285.60
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	143.00	...	143.00
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>616.41</b>	<b>...</b>	<b>616.41</b>	<b>1200.00</b>	<b>...</b>	<b>1200.00</b>	<b>1233.74</b>	<b>...</b>	<b>1233.74</b>	<b>1430.00</b>	<b>...</b>	<b>1430.00</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	399.10	...	399.10	1046.00	...	1046.00	1030.00	...	1030.00	1197.00	...	1197.00
2. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	981.24	...	981.24	960.50	...	960.50	941.96	...	941.96	1096.01	...	1096.01

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
जोड़ - राज्य योजना		1380.34	...	1380.34	2006.50	...	2006.50	1971.96	...	1971.96	2293.01	...	2293.01
जोड़		1996.75	...	1996.75	3206.50	...	3206.50	3205.70	...	3205.70	3723.01	...	3723.01

- यह व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।
- जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पात्र संगठनों और संस्थानों तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों को भी अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को समतुल्य आधार अर्थात् 50:50 आधार (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100%) पर सहायता अनुदान दिया जाता है। संशोधित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें वित्त वर्ष 2008-09 से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात) में बालिका आश्रम स्कूल और लड़कों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100% केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं ताकि जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं जैसे पठन-पाठन के अनुकूल माहौल में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके।
- मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को योजना में उल्लिखित भारत के अंदर मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मान्यताप्राप्त मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी प्रतिबद्ध देनदारी के अलावा, जो उन्हें अपने संसाधनों से वहन करनी होती है, 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित वचनबद्ध देनदारी समाप्त कर दी गई है।  
  
पुस्तक बैंक की योजना का पीएमएस के साथ विलय कर दिया गया है। अभी यह पीएमएस का घटक है। योग्यता उन्नयन की योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने परिणाम सुधारने के लिए संबंधित विषयों में ऐसे कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है।
- यह मैट्रिक पूर्व योजना 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों व लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों को 50:50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। संशोधित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें वित्त वर्ष 2008-09 से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात) में बालिका छात्रावास और लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए 100% केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं और इसे अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों में साक्षरता के संवर्धन में प्रभावी साधन माना गया है।
- इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को, जो उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश पाते हैं, शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।  
<http://indiabudget.nic.in>
- राष्ट्रीय विदेशी स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सिर्फ इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।
- यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय या अंतरराज्य स्वरूप की परियोजनाओं की सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्राइफेड को जनजातीय उत्पादों के संबंध में खुदरा विपणन विकास, कार्यकलाप के लिए सहायता अनुसंधान एवं विकास, कौशल उन्नयन, अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों और लघु वन-उत्पाद संग्रहकों का क्षमता निर्माण तथा समूह निधि के सृजन के लिए समर्थन, लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमों को सहायता अनुदान, जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक कामप्लेक्स, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे परंतुक के खण्ड(क) के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति समूहों के विकास, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के अंतर्गत एम-फिल और पी.एच.डी. जैसी उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को फैलोशिप देने की व्यवस्था है।
- मंत्रालय राज्य की जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता देते हुए राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देता है। टीएसपी को विशेष केंद्रीय सहायता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र मूलरूप में टीएसपी की परिवार आधारित आय-सृजन गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए था जिसका विस्तार करके रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियां और केवल परिवार आधारित अवसररचना आनुपांगिक नहीं बल्कि समूह मार्ग के माध्यम से समुदाय आधारित भी शामिल किए गए हैं। टीएसपी को एससीए प्रदान करने का मूल उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग-आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और इस प्रकार जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को उठाना है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय 22 टीएसपी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था करता है। "वन ग्रामों का विकास" कार्यक्रम भी इस शीर्ष के तहत वित्तपोषित किया जाता है। इसे वन-ग्रामों के निवासियों के मानव विकास सूचकांक (एचडी.आई.) को ऊपर उठाने की दृष्टि से वन-ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु और मूल सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने हेतु एककालिक उपाय के रूप में 2005-06 के दौरान शुरु किया गया था। इन वन-ग्रामों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 11वीं योजना अवधि के दौरान इसे जारी रखा जा रहा है। इस समय 12 राज्यों में 2,474 वन ग्राम/निवास फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मूल सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अवसररचनात्मक कार्य का कार्यान्वयन शुरु किया गया है।
- इस प्रावधान के अन्तर्गत 22 टी.एस.पी. राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसररचनात्मक परियोजनाओं का सृजन किया जा

सके और राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को राज्य के शेष हिस्सों में विद्यमान प्रशासन के स्तर तक लाया जा सके ताकि उन्हें शेष विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता परियोजना लक्षित है और अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने/चलाने हेतु निधिपोषण भी किया गया है। जून, 2010 में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों हेतु मार्गनिर्देश संशोधित किए गए थे ताकि अधिक एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय खोले जा सकें और राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

13. यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में जनजाति विकास निगमों के शेयर पूंजीगत निवेश में भागीदारी के लिए है, जो आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त जुटाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समर्थन चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तपोषण योजनाओं/परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को दिया जाता है।

14. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु है।